

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेंगा हिल्स, भोपाल

क्र. 12553
/22/वि-12/ग्रास/लेखा/
प्रति,

दिनांक 13/06/2018


1. महाप्रबन्धक (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
..... (म.प्र.)
2. लेखाधिकारी (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
..... (म.प्र.)

विषय— संविदाकार को भुगतान किये गये देयक की प्रति उपलब्ध कराने बावत।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजनांतर्गत ओ.एम.एम.एस के माध्यम से संविदाकार के खाते में सीधे राशि स्थानांतरित की जा रही है। संविदाकार द्वारा अवगत कराया गया है कि इकाई द्वारा समय—समय पर किये जाने वाले भुगतानों की राशि सीधे संविदाकार के बैंक एकाउंट में जमा हो जाती है, परन्तु देयक में से किस किस मद में कितनी—कितनी राशि का कटौत्रा किया गया, इसका विवरण संविदाकार को उपलब्ध नहीं हो पाता।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संविदाकार को पारित किये गये देयक एवं उससे विभिन्न मदों में काटी गई राशि का संपूर्ण विवरण संविदाकार को बिल पारित होने के उपरांत ई—मेल पर उपलब्ध कराया जाये। संविदाकार के लिए यह जी.एस.टी. संबंधी माहवार ई—सर्टिफिकेट के लिए भी आवश्यक है।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

 13/6/18

(दिनेश सुहाने)


मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण

दिनांक 13/06/2018

पृ.क्र. 12554
/22/वि-12/ग्रास/लेखा/
प्रतिलिपि—

मुख्य महाप्रबन्धक, समस्त म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 13/6/18

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण